न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमन चौधरी , आर. ए. एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या :– 97 / 2024

उनवान

1. संतोष पुरी पुत्र मांगूपुरी, जाति गोस्वामी (गुसाई), निवासी धानोता, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

1. किसन पुरी पुत्र हुक्मापुरी
2. सायर पुरी पुत्र हुक्मापुरी
   समस्त जाति गुसाई, निवासी धानोता, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
3. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
4. उपपंजीयक उपपंजीयक कार्यालय उपतहसील अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– अप्रार्थीगण

5. मालीराम पुरी पुत्र मांगूपुरी
6. कजोड़ पुरी पुत्र मांगू पुरी
7. प्रहलाद पुरी पुत्र मांगू पुरी
8. सीता पुत्री मांगू पुरी
9. भैरू पुरी पुत्र घीसापुरी
10. सोहनी पत्नी गणपतपुरी
11. कैलाश पुत्र गणपतपुरी
12. नेमीचन्द पुत्र गणपतपुरी
13. जमना पुत्री गणपत पुरी
14. गोठी पुत्री गणपत पुरी
15. अंजू पुत्री गणपत पुरी
16. मंजू पुत्री गणपत पुरी
17. सुशीला पुत्री गणपत पुरी
18. जितेन्द्र पुत्री प्रेम देवी उर्फ पत्नि सीताराम

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

19 पूजा पुत्री प्रेम देवी उर्फ शांति पत्नि सीताराम
समस्त जाति गुसाई, निवासी धानोता, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

उपस्थिति अधिवक्तागण :–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, प्रार्थी की ओर से
2. श्री सुनील शुक्ला, अप्रार्थीगण की ओर से

प्रार्थना–पत्र बाबत् मन्सूखी किये जाने एक पक्षीय निर्णय डिक्री दिनांक 06.04.2023 उनवानी प्रकरण किसनपुरी वगै0 बनाम मालीराम पुरी वगै0 मुकदमा नंबर 74/2021 माननीय सहायक कलक्टर–शाहपुरा अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

निर्णय दिनांक :– 17/01/2025

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी/वादीगण सं0–1 व 2 ने न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत इश्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि ग्राम धानोता, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर के साबिक खसरा नं0–76 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0–77 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0–78 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं0–79 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0–४० रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं0–81 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं0–8.2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा है जिसके हाल खसरा नं0–110 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0–111 रकबा 1.09 है0, खसरा नं0–112 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0–113 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0–115 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0–116 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0–119 रकबा 0.05 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2. 78 है0 बने है तथा साबिक व हाल रिकार्ड में धीरया, माग्या पिता इसर कौम गुसाई सामलाती धानोता की खातेदारी में है वादीगण व प्रतिवादीगण के दादा एक ही व्यक्ति पूरण पुरी थे उनके दो पुत्र इसरपुरी व भीवापुरी हुये तथा उक्त आराजीयात के मुल खातेदार मागुपुरी व धीसापुरी का निधन हो चुका है प्रतिवादीगण मागुपुरी व धीसापुरी वादीगण के ताऊजी के लडके ये भूरापुरी, हुक्मापुरी, इसरपुरी, भीवापुरी व पूरणपुरी ने सामुहिक रूप से उपरोक्त भूमि पर काश्त किया तथा वर्तमान में भी उपरोक्त वर्णित भूमि पर सं0–2012 से ही लगातार काश्त करते आ रहे है तथा वादी व प्रतिवादीगण अर्सा करीब 65 वर्ष पूर्व से ही काबिज काश्त है तथा लगान सरकार में अदा करते चले आ रहे है तथा प्रतिवादीगण को एडवर्स पजेशन भी वाद ग्रस्त आराजी पर लगातार चला आ रहा है वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को सेटलमेन्ट में हुई गलती को दुरूस्त करवाने बाबत

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

दिनांक–26.12.2020 को कहे जाने पर स्पष्ट इंकार करने पर उक्त वाद न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने पर न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर किया तथा उक्त वाद में जाकर बिना प्रतिवादीगण के नाम नोटिस किये बिना प्रोपर पक्षकार बनाये मृत व्यक्ति के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य में एडवर्स पजेशन के आधार पर निर्णय व डिक्री दिनांक–06.04.2023 को पारित कर दिया। जिसकी जानकारी प्रार्थी को दिनांक 30.06.2024 को पटवारी हल्का से होने से न्यायालय श्रीमान् के यहां प्रकरण की पत्रावली अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक–10.07.2024 को होने पर प्रार्थना पत्र निम्न सुदृढ आधारो पर प्रस्तुत है :–

1. यहकि न्यायालय श्रीमान् द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक–06. 04.2023 विधि विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य के विपरीत होने के कारण निर्णय डिक्री दिनांक 04.04.2023 अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक–06.04.2023 मौका वाक्यात एवं कानून के खिलाफ होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3. यहकि वादीगण/अप्रार्थीगण का वाद पत्र संबंधित कानूनी प्रावधानो की पूर्ति नहीं करने के बावजूद न्यायालय श्रीमान् द्वारा अप्राथीगण ने एक पक्षीय रूप से न्याय नियत के विरूद्ध निर्णय डिक्री दिनांक 06.04.2023 पारित करवा लिया जो विधि के मूल सिद्धान्तो के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यहकि वादीगण का वाद पत्र रेस ज्युडिकेटा की श्रेणी में आता है इस कारण पूर्ण न्याय के सिद्धान्त से प्रतिबधित होने से वादीगण का वाद पत्र काबिले खारीज था परन्तु वादीगण ने एक पक्षीय रूप से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष झूठे तथ्य प्रस्तुत कर एक पक्षीय रूप से वाद डिक्री करवा लिया जबकि प्रार्थी व तरतीबी अप्राथीगण को सूचना व सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया इस कारण न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 06.04.2023 विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के खिलाफ पारित किया गया होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

5. यह कि न्यायालय श्रीमान् के निर्णय व डिक्री दिनांक–08. 04.2023 की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि दावा दायरी दिनांक–22.07.2021 में पक्षकारो की तलबी किये जाने का आदेश पारित किया गया है उक्त आदेश की अनुपालना में बिना कोई नोटिस जारी किये ही एक पक्षीय आदेश दिनांक–06.07.2022 को पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है न्यायालय श्रीमान् ने उक्त तथ्यो पर बिना गौर किये जो आदेश दिनांक–06. 07.2022 की अनुपालना में ही अंतिम निर्णय डिक्री 06.04.2023 पारित कर दी गई जो समरेखी ही निरस्त किये जाने योग्य है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

6. यहकि न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक–07.09.2021 को प्रार्थी/प्रतिवादीगण के तामील चस्पांगी से किया जाना अंकित किया गया है जबकि न्यायालय श्रीमान् को आदेशिका में चस्पांगी हेतू कोई आज्ञा प्रदान नहीं की गई इस प्रकार अप्रार्थीगण ने आदेश –9 की पालना नहीं की उसके बावजूद भी न्यायालय श्रीमान् द्वारा निर्णय डिकी दिनांक–06.04.2023 एक पक्षीय रूप से विधि विरुद्ध पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

7. यहकि पत्रावली में अप्रार्थीगण ने प्रतिवादी सं०–6 'शांति पुत्री मांगूपुरी को पक्षकार मुकदमा बनाया था जबकि उक्त पक्षकार का वास्तविक नाम प्रेम देवी पुत्री मागूपुरी पत्नि सीताराम है जिसकी मृत्यु दिनांक–10.11.2021 को हो चुकी थी जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण को बखूबी रही है उसके बावजूद न्यायालय श्रीमपान् ने दिनांक 06.04.2023 को मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो 'शुन्य आदेश की श्रेणी में आता है जिस कारण निर्णय डिकी दिनांक–06.04.2023 अपास्त निरस्त किये जाने योग्य है।

8. यहकि न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अप्रार्थी सं0–1 व 2 द्वारा कथन किया कि अप्रार्थी सं0–1 व 2 व प्रार्थी/तरतीबी अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं0–1 व 2 का एडवर्स पजेशन के आधार पर स्वंय का 65 वर्ष से लगातार कब्जा होना जाहिर किया है जबकि अप्रार्थी सं0–1 व 2 एवं प्रार्थी/तरतीबी अप्रार्थीगण न तो एक परिवार के सदस्य है और ना ही अप्रार्थी सं0–1 व 2 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश किया जिससे स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थी सं0–1 व 2 एवं प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य हो ओर ना ही ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत कर प्रदर्शित ही करवाया गया है इस प्रकार बिना दस्तावेजी साक्ष्य के अप्रार्थी सं0–1 व 2 को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी किये जाने का जो आदेश पारित किया है जो कि अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है।

9. यहकि अप्रार्थी सं0–1 व 2 द्वारा न्यायालय के समक्ष एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारो की धोषणा पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद पेश किया गया है जबकि कानूनी सिद्धान्तो के अनुसार एडवर्स पजेशन के आधार पर घोषणा का दावा पोषणीय ही नहीं है उक्त तथ्यो पर बिना गौर किये न्यायालय ने जो निर्णय डिकी दिनांक–06.04.2024 पारित की है वह अपास्त किये जाने योग्य है।

10. यहकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी सं0–1 व 2 द्वारा अपने धोषणा के वाद में लैण्ड होल्डर तहसीलदार–शाहपुरा, जिला जयपुर को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है जबकि धोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती के वाद में लैण्ड होल्डर तहसीलदार–शाहपुरा आवश्यक पक्षकार है जिसकी बिना उपस्थिति में निर्णय व डिकी पारित किया जाना

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

कत्तई विधि सम्मत नहीं है उक्त तथ्यों पर भी बिना गौर किये ही खातेदारी घोषित किये जाने का जो निर्णय पारित किया है वह अपास्त निरस्त किये जाने योग्य है।

11. यहकि अप्रार्थीगण ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष दिनांक–14.07.1994 को प्रश्नगत भूमि बाबत एक दावा मुकदमा सं0–189/1994 उनवानी किशनपुरी बनाम मांगूपुरी पेश किया था जो दिनांक–07.04.1995 को न्यायालय श्रीमान् द्वारा खसरा नं0–114 व 117 के हिस्सा 1/2 की घोषणा करवाई थी जबकि शेष प्रश्नगत खसरा नम्बर बाबत अप्रार्थीगण का दावा अस्वीकार करने के बावजूद अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2023 रेस ज्युडिकेटा की श्रेणी में आने से वादीगण का दावा विधि द्वारा वर्जित होने के बावजूद निर्णय व डिक्री दिनांक–06.04.2023 पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

12. यहकि निर्णय व डिक्री दिनांक–06.04.2023 की जानकारी दिनांक–30.06.23 को पटवारी हल्का द्वारा हुई कि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की भूमि का हिस्सा 1/2 अप्रार्थी सं0–1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया गया है जिस पर प्रार्थी ने कई अधिवक्ताओं से उक्त प्रकरण बाबत जानकारी हासिल की और दिनांक–12.07.2024 को न्यायालय श्रीमान् के यहां अधिवक्ता के मार्फत सम्पूर्ण पत्रावली की नकल प्राप्त करने पर प्रार्थी की जानकारी में उक्त एक पक्षीय निर्णय डिक्री दिनांक–06.04.2023 की जानकारी हुई इससे पूर्व प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं रही है जबकि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद बाबत विलम्ब माफी अन्तर्गत धारा–5 प्रस्तुत कर विलम्ब माफी का निवेदन किया है अर्थात प्रार्थना पत्र जानकारी दिनांक–30.06.2024 से अन्दर मियाद पेश है।

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर एकपक्षीय निर्णय डिक्री दिनांक 06.04.2023 मुकदमा नंबर 74/2021 उनवानी किशनपुरी वगै0 बनाम मालीराम पुरी वगै0 में पारित एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 06.07.2022 के आधार पर पारित निर्णय दिनांक 06.04.2023 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील शुक्ला ने वकालतनामा पेश किया। शेष अप्रार्थीगण की तामील प्राप्त हुई। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को खारिज किये जाने हेतु पेश किया। वकील प्रार्थी ने जवाब उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 18 व 19 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश किया। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 05 लगायत 17 की ओर से वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का जवाब पेश नहीं कर प्रकरण में प्रस्तुत

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रार्थना–पत्र के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन कराते हुए सीपी बहस की एवं प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार करने बाबत निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुए अपने प्रार्थना–पत्र की ताईद की एवं न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2023 मुकदमा नंबर 74/2021 किसनपुरी वगै0 बनाम मालीराम पुरी वगै0 में पारित एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 06.07.2022 के आधार पर पारित निर्णय दिनांक 06.04.2023 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिये जाने की आज्ञा प्रदान करने बाबत निवेदन किया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। मूल पत्रावली तलब की गई। मूल पत्रावली व पत्रावली में अंकित तथ्यों व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि उनवानी प्रकरण किसनपुरी वगै0 बनाम मालीरामपुरी वगै0, वाद संख्या 74/2021 न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 06.04.2023 को डिक्री किया गया था एवं उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 06.07.2022 के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में इंगित किया है कि निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2023 की जानकारी दिनांक 30.06.2023 को पटवारी हल्का द्वारा हुई कि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की भूमि का हिस्सा 1/2 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया गया है, जिस पर प्रार्थी ने कई अधिवक्ताओं से उक्त प्रकरण बाबत् जानकारी हासिल की और दिनांक 12.07.2024 को न्यायालय श्रीमान् के यहां अधिवक्ता के मार्फत सम्पूर्ण पत्रावली की नकल प्राप्त करने पर प्रार्थी की जानकारी में उक्त एकपक्षीय निर्णय डिक्री दिनांक 06.04.2023 की जानकारी हुई। इससे पूर्व प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं रही है। चूंकि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद एकपक्षीय रूप से डिक्री किया गया है, प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2023 के विरूद्ध साक्ष्य व सुनवाई हेतु अवसर चाहते है। वकील प्रार्थी की बहस व कथन से हम सहमत है। अतः न्यायिक दृष्टि से वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचनों के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया जाता है। उक्त प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार होने से मूल वाद किसनपुरी वगै0 बनाम मालीरामपुरी वगै0, वाद संख्या 74/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक

सहायक कलक्टर

(10)

06.04.2023 को अपास्त किया जाता है एवं मूल वाद पुनः नंबर पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं मूल वाद संख्या 74/2021 के हमफिता हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17/01/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमन चौधरी, R.A.S)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
शाहपुरा, जिला जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला जयपुर)